सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) SUCI (C) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-38 अंक 5 | 7 से 21 मार्च, 2023 | मुख्य संपादक: कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ : 8 | मूल्य : 4 रुपये

महान कार्ल मार्क्स जिन्दाबाद !

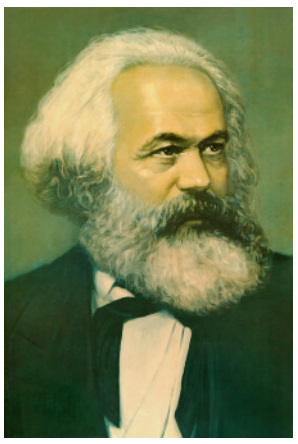

5 मई 1818–
14 मार्च 1883

"कारखाने में भरे हुए झुण्ड के झुण्ड श्रमिक ... केवल बुर्जुआ वर्ग और बुर्जुआ राज्य के ही गुलाम नहीं हैं; बल्कि हर दिन, हर घण्टे वे मशीन के, ओवरसियर के और सर्वोपरि खुद बुर्जुआ कारखानेदार के गुलाम होते हैं। यह निरंकुशता जितना ही अधिक खुलकर यह घोषित करती है कि मुनाफा ही उसका लक्ष्य और उद्देश्य है, उतना ही अधिक वह तुच्छ, घृणित और कटु होती है।"

(कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र)

साफ हो गया कि जजों की नियुक्ति की प्रणाली पर सरकार क्यों करना चाहती है कब्जा

अडानी-घोटाले की जांच हेतु समिति गठित करने के लिए सीलबंद लिफाफे के 'सुझाव' को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर केन्द्र की भाजपा सरकार को बड़ा झटका दिया है। जैसे ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट में यह बात सामने आयी कि अडानी समूह ने धोखाधड़ी से अपनी कम्पनियों के शेयर की कीमतें बढ़ाकर दिखायी है, वैसे ही कम्पनी के शेयर की कीमत गिरकर आधी हो गयी। कम्पनी के निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव दिया। मोदी सरकार इससे इनकार नहीं कर पायी, लेकिन कहा कि उस समिति का गठन किन लोगों को लेकर होगा और उनके काम का दायरा क्या होगा, इस पर केन्द्र सरकार सीलबंद लिफाफे में अपना 'सुझाव' सुप्रीम कोर्ट को देगी।

इस बीच देश भर में जोरशोर से मांग उठी है कि अडानी-घोटाले में सरकार के वित्त विभाग, सेबी और आरबीआई की भूमिका क्या थी, प्रधानमंत्री के अडानी से लगाव ने इस घोटाले को कैसे प्रभावित किया, सरकार ने इस गैर कानूनी काम में अडानी की मदद कैसे की और बदले में भाजपा को क्या फायदा मिला आदि मुद्दों को शामिल कर जांच करवायी जाये। सरकार की ओर से दिये गये सीलबंद लिफाफे को खोलकर उसके 'सुझावों' को देखने के

(शेष पृष्ठ 6 पर)

रसोई गैस की मूल्य वृद्धि की एसयूसीआई (सी) ने की कड़ी निंदा

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 1 मार्च को निम्नलिखित बयान जारी किया:

कंगाल जनता पर घरेलू रसोई गैस की कीमत में 50 रुपये की और बढ़ोतरी किए जाने की हम कड़ी निंदा करते हैं। 12 महीनों में यह छठी मार है। जब भाजपा सरकार ने अपने मौजूदा बजट में एलपीजी पर सब्सिडी में 75 फीसदी की कमी की, तब यह वृद्धि अंदेशे से परे नहीं थी। इस तथ्य के बावजूद कि कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत में काफी गिरावट आई है और रूसी तेल का भारतीय आयात बहुत सस्ती कीमत पर बढ़ गया है। प्रधानमंत्री अक्सर 'उज्जवला' योजना के तहत गरीब तबके के लोगों को मुफ्त एलपीजी

(शेष पृष्ठ 6 पर)

सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी दे,
किसानों से कृषि उपज सीधे खरीदे, कृषि उपज व जरूरी चीजों का सम्पूर्ण व्यापार अपने हाथ में ले

दिल्ली बार्डरों पर लड़े गये ऐतिहासिक बहादुराना किसान आंदोलन की मांगों में कॉरपोरेट-परस्त तीन काले कृषि कानून रद्द कराने के अलावा अन्य महत्वपूर्ण मांगें थीं: एमएसपी का कानून बनाया जाये और उत्पादन लागत से डेढ़ गुना दामों पर किसानों से सीधे कृषि उपज की खरीद सुनिश्चित की जाये। आंदोलन के दबाव में आखिर केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को तीन काले कृषि कानून रद्द करने पड़े थे और साथ ही उसे किसानों को आश्वासन देना पड़ा था कि जल्द ही वह एमएसपी और कृषि उपज की सरकारी खरीद की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी। लेकिन, अभी तक केंद्र की भाजपा सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। बल्कि, इस मांग के खिलाफ कुछ झूठे तर्कों को हवा दिये जा रही है। इसके पीछे उसकी मंशा आम लोगों में भ्रम पैदा करने की है ताकि उन्हें किसान आंदोलन की इस मांग के खिलाफ खड़ा किया जा सके। इसलिए, हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम आम लोगों के हित में उनके तर्कों का पर्दाफाश करें।

आइये, देखते हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार की दलीलें क्या हैं? केंद्र की भाजपा सरकार और उसके द्वारा पोषित अर्थशास्त्री व पत्रकार मुख्य

(शेष पृष्ठ 6 पर)

कॉमरेड शिवदास घोष के जन्म शताब्दी वर्ष पर उनकी अमूल्य शिक्षाएं

5 अगस्त 1923–5 अगस्त 1976

(16 नवम्बर, 1971 को महान नवम्बर क्रांति की 54वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोलकाता के महाजाति सदन हॉल में दिये गये भाषण के चुनिन्दा अंश का हिन्दी रूपांतर)

ऑथोरिटी को मानकर चलने से अंधता नहीं बढ़ती है, चेतना के निम्न स्तर की वजह से बढ़ती है अंधता

शिवदास घोष

"नवम्बर क्रांति के जरिये लेनिन ने पार्टी, पार्टी नेतृत्व और ऑथोरिटी की अवधारणा को भी पेश किया। नेतृत्व का सवाल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या वह सिर्फ पार्टी के सुचारू संचालन के लिए है? नहीं, इतना ही नहीं। जनता को सक्रिय भूमिका में लाने के लिए भी नेतृत्व और ऑथोरिटी की जरूरत होती है। कम्युनिस्ट पार्टी की इस ऑथोरिटी की अवधारणा को लेकर यांत्रिकता, नौकरशाही, व्यक्तिपूजावाद आदि जैसे शब्द आये हैं। हम इन सबके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वस्तुगत स्थिति के कारण ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की चेतना के स्तर और कार्यकर्ताओं, रैंक एंड फाइल की चेतना के स्तर के बीच बहुत बड़ा तफर्का है। यहां तक कि कार्यकर्ताओं में जो न्यूनतम चेतना का स्तर रहना चाहिए, उस मामले में भी कई कमियां हैं। फिर, पार्टी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

एआईडीएसओ का 12वां पश्चिम बंगाल राज्य सम्मेलन भारी उत्साह के बीच आयोजित

आसनसोल (पश्चिम बंगाल) : एआईडीएसओ के पश्चिम बंगाल राज्य सम्मेलन का आयोजन गत 17-18 फरवरी को आसनसोल में किया गया। सभी जिलों के स्कूलों, कॉलेजों और मेडिकल कॉलेज से लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। 17 फरवरी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-20) को रद्द करने

(शेष पृष्ठ 7 पर)

सम्मेलन से पहले कार्यक्रम स्थल के बाहर इकट्ठे छात्र प्रतिनिधि

सम्मेलन के बाद राजनीति शिक्षण शिविर का संचालन करते हुए कॉमरेड प्रभास घोष (इनसेट)

कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाएं ....

(पृष्ठ 1 का शेष)

कार्यकर्ताओं की चेतना के स्तर और जनता की चेतना के स्तर के बीच एक बड़ा अंतर है। नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच चेतना के न्यूनतम स्तर में यह जो बड़ा तफर्का है, क्या नेतृत्व के चाहने से ही इसे कम किया जा सकता है? एक लम्बी प्रक्रिया में इसमें कमी आयेगी। जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक किसी भी सिद्धांत की समझ में और तदनुसार व्यवहार में कुछ यांत्रिकता रहेगी ही। लेकिन चूंकि यांत्रिकता रहेगी, इसलिए हम उसके प्रति असावधान नहीं रह सकते, उसे बढ़ने नहीं दे सकते। जो यांत्रिकता मौजूद है, वह तो वास्तविक सीमाबद्धता है। इसलिए हमें उसके चरित्र को समझना होगा और संघर्ष तथा चर्चा-अध्ययन व क्लासों के संचालन के जरिये चेतना का स्तर बढ़ाने के लिए हमें निरंतर कोशिश करते जाना होगा। इस तरह देश में, जन आन्दोलन में और पार्टी की अंदरूनी जीवन शैली में चर्चा-बहस और बातचीत का माहौल तैयार करना ही है चेतना के स्तर को निरंतर विकसित करने, यांत्रिकता को रोकने और उसे नियंत्रण में रखने का सही तरीका। यांत्रिकता की मानसिकता और उससे उत्पन्न होने वाले अवगुणों से पार्टी कार्यकर्ताओं को दूर रखने की यही है सही प्रक्रिया। लेकिन क्या हम चाहने से ही सबका स्टैन्डर्ड (मान) बराबर कर दे सकते हैं? ऐसा सोचना अवास्तविक है। कोई भी मार्क्सवादी ऐसा नहीं सोचता है। सिद्धांत की समझ और उसे लागू करने के मामले में चेतना का यह तफर्का तथा यांत्रिकता की यह सीमा रहेगी ही। यही वजह है कि ऑथोरिटी की अवधारणा की वास्तविक जरूरत है। इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता, कोई महान उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता।

इसलिए, जनवाद, अधिकार आदि बड़ी-बड़ी बातों की आड़ में अगर किसी भी तरह से ऑथोरिटी को छोटा करने का प्रयास होता है, तो वास्तव में उसका मतलब हो जायेगा पार्टी नेतृत्व को समाप्त करना, पार्टी की एकता को समाप्त करना और जनता को नेतृत्वहीन घोर अराजकता की स्थिति में छोड़ देना। ऑथोरिटी को छोड़ने का मतलब होगा वैचारिक संघर्ष को भी खुले मैदान के तर्क-वितर्क में तब्दील कर देना, क्रांतिकारी पार्टी को लक्ष्यहीन बहसबाजी के अड्डे में पतित कर देना। ऐसा कोई भी क्रांतिकारी पार्टी कभी भी नहीं सोच सकती। नतीजतन, व्यक्तिपूजा या यांत्रिकता के खिलाफ संघर्ष के नाम पर ऑथोरिटी को नीचा दिखाने तथा उसे छोटा करने के किसी भी रुझान या सोच का समर्थन करना तो दूर रहा, उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर हम चर्चा के अपने किसी तरीके से, किसी सवाल उठाने के तरीके से पार्टी ऑथोरिटी को कमजोर कर बैठते हैं, तो वह हमारी भारी गलती होगी, संगीन जुर्म होगा। कोई भी क्रांतिकारी पार्टी इसकी इजाजत नहीं दे सकती। इसकी इजाजत देनी भी नहीं चाहिए। यही सीमा है। पार्टी के अंदरूनी जीवन में जनवादी प्रक्रिया में किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने, बहस करने का व्यापक अधिकार पार्टी देगी। लेकिन, इस 'व्यापक' का मतलब सभी सीमाओं से परे जाना नहीं है। वहां सीमा यह है कि कोई चर्चा के नाम पर ऑथोरिटी को कमजोर नहीं कर सकता। अगर ऑथोरिटी संबंधी समझ में किसी को कहीं यांत्रिकता लगे, तो वह इसे लेकर चर्चा कर सकता है, लेकिन उस मामले में उसका सवाल ठोस रूप में होगा। यानी जिस बिन्दु पर उसे लगता है कि समझ में यांत्रिकता है, वह उस बिन्दु को दिखाते हुए कहेगा कि उस बिन्दु पर समझ में यांत्रिकता है। उस बिन्दु पर मामले को सही ढंग से नहीं समझ पाने की वजह से ऐसा होता है। अगर मामले को इस तरह से समझा जाता, तो यांत्रिकता नहीं आती। सवाल भी इसी तरह से उठाया जाना चाहिए। ऐसा करने से क्रांतिकारी आन्दोलन का भी भला होगा। लेकिन अगर बड़ी-बड़ी बातों की आड़ में सवाल इस तरह से उठाये जायें, चर्चा इस तरह से की जाये, जिससे ऑथोरिटी के बारे में ही सवाल उठ जाये, तो उसकी इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती। अगर इजाजत दी जाती है, तो भारी नुकसान होता है, जैसा कि ख्रुश्चेव जैसे संशोधनवादियों के हाथों में पड़कर कम्युनिस्ट आन्दोलन का हश्र हुआ। व्यक्तिपूजा के खिलाफ संघर्ष के नाम पर उन लोगों ने स्तालिन की ऑथोरिटी कमजोर कर दी और उस रास्ते चलकर कम्युनिस्ट आन्दोलन में संशोधनवाद का द्वार खोल दिया। लेनिन की मृत्यु के बाद स्तालिन के जरिये ही लेनिनवाद की सही और पुख्ता समझ की राह रोशन हुई थी। ख्रुश्चेव सरीखों ने इसे मटियामेट कर दिया। इसकी वजह से लेनिन के बुनियादी सिद्धांत किसी के भी द्वारा मनमानी व्याख्या करने के विषय बन गये। इसलिए वैचारिक क्षेत्र में संशोधनवाद-सुधारवाद की घुसपैठ का द्वार खोल दिया गया। हालांकि अनेक देशों में कम्युनिस्टों ने कुर्बानियां दी थीं, संघर्ष किया था। उनकी गतिविधियां थीं। वे आगे बढ़े थे। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन काफी आगे बढ़ चुका था। फिर यह काफी लम्बे समय तक पिछड़ता ही चला गया। कम्युनिस्ट आन्दोलन में अंधकार युग आ गया। व्यक्तिपूजावाद के खिलाफ संघर्ष के नाम पर ख्रुश्चेव आदि ने सर्वनाश कर दिया। व्यक्तिपूजावाद से लड़ना इतना आसान नहीं है। उसके लिए व्यक्तिवाद पैदा होने के मुख्य कारण को जानना होता है। ख्रुश्चेव जैसे लोगों ने इन सब बातों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने स्तालिन को नीचा दिखाने के जरिये कम्युनिस्ट आन्दोलन में ऑथोरिटी की पूरी अवधारणा को ही नष्ट कर दिया। स्तालिन महज एक व्यक्ति नहीं थे। वे ऑथोरिटी की अवधारणा के मूर्त रूप थे। स्तालिन के प्रति जनभावना के पीछे कौन-से सवाल जुड़े हुए हैं? स्तालिन के साथ गौरवपूर्ण यादें जुड़ी हुई हैं। उनके नाम के साथ, उनके मान-सम्मान के साथ, उनकी ऑथोरिटी के साथ मार्क्सवाद-लेनिनवाद की व्याख्या जुड़ी हुई है, जिसे जानने के लिए लोगों में गहरी उत्सुकता है। अगर मार्क्सवाद-लेनिनवाद सीखना है, तो स्तालिन द्वारा दिखाये रास्ते पर चलकर ही सीखना होगा। किसी भी अवधारणा के बारे में सही-गलत का विचार स्तालिन द्वारा निर्धारित मानदंडों द्वारा ही करना होगा। स्तालिन को कलंकित करते हुए उनकी ऑथोरिटी को खत्म करने के जरिये दुनिया भर के मेहनतकश लोगों और कम्युनिस्टों की इस मानसिकता को ही नष्ट कर दिया गया।

कम्युनिस्ट आन्दोलन में ऑथोरिटी की यह अवधारणा भी लेनिनीय पार्टी सिद्धांत की ही अवधारणा है। अगर इस संबंध में पार्टी में कोई ठोस अवधारणा न रहे, गोल-मोल शब्दजाल में घूमती रहे, तो नेतृत्व शब्द का कोई मायने नहीं रह जाता है। स्तालिन ने इस संबंध में चर्चा की है। ट्रॉटस्की के साथ अपनी चर्चा में स्तालिन ने नेतृत्व या ऑथोरिटी की इस अवधारणा की व्याख्या करते हुए कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी में नेतृत्व की अवधारणा सतही नहीं होती है। वह अमूर्त नहीं होती है। वह ठोस और वास्तविक होती है। अन्यथा नेतृत्व शब्द का कोई मायने ही नहीं होता है। इस संबंध में स्तालिन के नेतृत्व में सोवियत पार्टी ने इतना ही कहा है। उन्होंने इस मामले को और विस्तार से व्याख्या कर सैद्धांतिक तौर पर आगे कुछ नहीं किया है। यह काम हमारी पार्टी ने किया है। इस मामले में हमने कोई गलती नहीं की। नेतृत्व की ठोस अवधारणा को सैद्धांतिक तौर पर पेश करने के जरिये हम अपनी कमी-खामियों और सीमाबद्धताओं के बावजूद पार्टी को अति जनतंत्र, बुर्जुआ व्यक्तिवाद तथा संशोधनवाद-सुधारवाद के हमले से बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दुनिया में कई पार्टियों की जो परिणति हुई, हमारे देश में सीपीआई-सीपीआई(एम) के साथ जो हुआ, वैसा हमारे साथ न हो।

समाजवादी समाज में व्यक्तिवाद की समस्या

अत: देखा जा रहा है कि क्रांतिकारी सिद्धांत की अवधारणा, क्रांतिकारी पार्टी का गठन आदि क्रांति के स्तर निर्धारण या कुछ राजनीतिक-आर्थिक कार्यक्रम तय करने तक ही सीमित नहीं हैं। यह समकालीन दुनिया और विशेष समाज की पृष्ठभूमि में इतिहास, दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र, कला, साहित्य, संस्कृति, नीति-नैतिकता आदि ज्ञान-विज्ञान की तमाम शाखाओं को संयोजित करते हुए ज्ञान की एक समग्र अवधारणा है। जब तक पार्टी ज्ञान की इस समग्र अवधारणा से लैस नहीं हो जाती, तब तक पार्टी को सही क्रांतिकारी सिद्धांत की जानकारी ही नहीं हो सकती—चाहे वह क्रांति के स्तर के बारे में कितनी भी सही बात क्यों न करे और मार्क्स-एंगेल्स-लेनिन की किताबों से कितने भी उद्धरण देने की क्षमता क्यों न रखती हो। जिस देश की क्रांतिकारी पार्टी ने अपनी ताकत पर क्रांति की है, यानी ऐसा नहीं कि दूसरों की मदद से क्रांति का काम पूरा हुआ है, उस देश की क्रांतिकारी पार्टी को ज्ञान-विज्ञान की सभी शाखाओं के ज्ञान को संयोजित कर उस समग्र ज्ञान से लैस होना पड़ा है और उसके आधार पर उसे जीवन के सभी पहलुओं पर मार्गदर्शन करना पड़ा है। इस संबंध में हमारे सामने दो मॉडल हैं। एक है लेनिन के समय में सोवियत पार्टी का। वे ऐसा करने में समर्थ हुए थे। चीन में माओ त्से-तुंग की पार्टी ने भी लेनिन द्वारा दिये गये ज्ञान के साथ चीनी समाज से प्राप्त अपने ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ समन्वय किया था। लेकिन उसे ही अंतिम मान लेना गलत होगा। आज वे जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ज्ञान-विज्ञान की शाखाएं उन समस्याओं के बारे में जो कुछ बता रही हैं, अगर उन्हें संयोजित कर वे अपने ज्ञान का और भी संवर्धन न कर सकें, तो समाजवादी समाज में बुर्जुआ व्यक्तिवाद नये रूप में जो समस्या पैदा करेगा, उससे वे निपट नहीं पायेंगे। आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक तरक्की के बावजूद समाजवादी समाज में व्यक्तिवाद की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। व्यक्ति-स्वतंत्रता की आकांक्षा जिन-जिन सवालों से रूबरू है, कैसे उसका हल निकलेगा—इन बातों का निराकरण नहीं हुआ है। क्रांति से पहले इस व्यक्ति-स्वतंत्रता की आकांक्षा को केन्द्रकर जो सवाल आये थे या जो समस्याएं दिखाई दी थीं, जो बातें कहकर उनका निराकरण किया था, क्रांति के बाद की स्थिति में उन्हीं बातों के जरिये उनका निराकरण किया जा सकेगा या कि वे बातें समस्या पैदा करेंगी—इन बातों को सोचा नहीं गया। इसलिए, नयी परिस्थिति में व्यक्ति-स्वतंत्रता का संघर्ष कैसे चलाना है, सही मायने में व्यक्ति-स्वतंत्रता कैसे हासिल होगी, अगर उनमें इसकी सैद्धांतिक समझ न रहे, तो समस्याएं आयेंगी। हालांकि समाजवादी समाज का यह व्यक्तिवाद चारित्रिक पहलू से मुख्यत: बुर्जुआ व्यक्तिवाद होने पर भी क्रांति के बाद के समाजवादी समाज में उसका तौर-तरीका बिल्कुल बुर्जुआ व्यक्तिवाद की तरह नहीं होता है। इन दोनों के अलग-अलग रूपों को दिखाने के लिए हमने समाजवादी समाज में व्यक्तिवाद के रूप को 'समाजवादी व्यक्तिवाद' कहा है। यह याद रखना चाहिए कि समाजवादी समाज में पहुंच जाने के बाद मजदूर वर्ग में बुर्जुआ व्यक्तिवाद खत्म नहीं हुआ है। व्यक्ति के स्वतंत्रता हासिल करने का संघर्ष, जिसे बुर्जुआ लोगों ने शुरू किया था, का निराकरण नहीं हुआ है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जो हासिल हुआ है, वह है बुर्जुआ अर्थों में व्यक्ति का समानाधिकार यानी समाज में हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार समान अवसर मिलेगा। उस अवसर पर कोई रोक नहीं लगाएगा। लेकिन, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल, जिसके लिए व्यक्ति का संघर्ष शुरू हुआ था, का निराकरण नहीं हुआ। इसलिए यह सवाल बार-बार उठेगा ही कि व्यक्ति-स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। सोवियत संघ में समाजवाद कायम होने के इतने दिनों बाद भी सोवियत समाज में यह सवाल आया है। ऐसा नहीं है कि केवल राजनीतिक क्षेत्र में संशोधनवाद के कारण ऐसा हुआ है। ऐसा तो होना ही था। यहां व्यक्ति की स्वतंत्रता की आकांक्षा है—मैं जिस ढंग से अपनी बात कहना चाहता हूं, मुझे उस ढंग से कहने नहीं दिया जा रहा है। इसकी इजाजत कोई समाजवादी समाज वास्तव में ही नहीं दे सकता। क्योंकि, इस मौके का फायदा उठाकर तरह-तरह के प्रतिक्रांतिकारी विचार सिर उठा लेते हैं। इसलिए इसकी इजाजत न देकर ठीक ही काम किया जाता है। लेकिन इसकी इजाजत न देकर व्यक्ति की सही स्वतंत्रता का हनन और उसके हित का नुकसान नहीं किया जाता है और ऐसा क्यों नहीं किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, यह तो समझा देना होगा।

.... ऑथोरिटी की अवधारणा और बुनियादी सिद्धांतों की सही समझ—इस संरचना के भीतर ही पार्टी के अंदरूनी जनतंत्र को जीवंत बनाये रखने और कार्यकर्ताओं की चेतना का मान विकसित करने का मामला है। यहां तर्क-बहस पर रोक लगाने का सवाल ही नहीं उठता। किसी भी सवाल पर चर्चा का अधिकार अगर पार्टी के लिए दे पाना संभव होता है, तो उसमें पार्टी का

(शेष पृष्ठ 3 पर)

केन्द्रीय बजट

स्वास्थ्य क्षेत्र की घोर उपेक्षा

पिछले वित्त वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की जितनी फीसदी राशि आवंटित की गयी थी, उसके मुकाबले इस साल के केन्द्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित राशि में कटौती की गयी है। जबकि सरकार खुद कह रही है कि इस बार जीडीपी की विकास दर 6 से 6.8 फीसदी रही है और वर्तमान में भारत जीडीपी के मामले में दुनिया में पांचवें नम्बर पर है। अगर समग्र बजट के अनुपात में विचार किया जाये, तो पिछले साल का कुल बजट 41.9 लाख करोड़ रुपये था, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में 86,200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी थी। यानी स्वास्थ्य बजट कुल बजट का 2.05 फीसदी था। अबकी बार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केन्द्र सरकार का कुल बजट 45.03 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में 88,956 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है। यानी स्वास्थ्य बजट कुल बजट का 1.97 फीसदी है, जो कि जीडीपी का अत्यंत मामूली हिस्सा है। जबकि वर्तमान समय में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जीडीपी की 9 फीसदी, जापान, फ्रांस जैसे देशों में 10 फीसदी और यहां तक कि अमेरिका जैसे देश में जीडीपी की 16 फीसदी राशि स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटित होती है। अगर सिर्फ आंकड़ों की ही बात करें, तो इस बजट की कुल राशि में बहुत कम इजाफा किया गया है। लेकिन इस बात का धूमधाम से प्रचार किया जा रहा है कि पिछली बार के मुकाबले यह राशि 12.6 फीसदी अधिक है। हालांकि, इस दौरान रुपये में जो गिरावट आयी है और आबादी में जो बढ़ोतरी हुई है, उसके आधार पर अगर देखा जाये, तो इस साल के बजट में पिछले साल के मुकाबले 6 फीसदी कम राशि आवंटित की गयी है। वहीं इस साल के सैन्य बजट में 1.62 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गयी है, जो पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए व्यय की गयी राशि की दोगुनी है।

इसके अलावा, बजट आवंटन का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ नहीं है। शिक्षा, जल, स्वच्छता, अनुसंधान, फार्मा इनोवेशन आदि मदों में बजट का बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है। 157 नर्सिंग कॉलेजों व प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण में एक बड़ा हिस्सा खर्च होगा। नतीजतन, स्वास्थ्य क्षेत्र की बुनियादी सेवाओं के लिए कम ही राशि बचेगी। यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी। साथ ही बीमारियों की रोकथाम के कार्यक्रम भी प्रभावित होंगे। आज जब असंक्रामक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं और कुल मौतों में से लगभग 70 फीसदी मौतें कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, सेरीब्रल स्ट्रोक आदि के कारण हुआ करती हैं, ऐसे में अगर इन बीमारियों की रोकथाम के मद में आवंटन में कटौती होती है, तो कैसी भयावह स्थिति पैदा होगी, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। दूसरी ओर, देश के विभिन्न हिस्सों में एम्स जैसे गुणवत्ता वाले जिन संस्थानों का निर्माण हो रहा था, उस मद में आवंटन 9411 करोड़ रुपये से घटाकर 3365 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यानी इस मद में 64 फीसदी की कटौती की गयी है। नतीजतन, इन संस्थानों का भविष्य अंधकार में है। जबकि इन संस्थानों से आम लोगों को उन्नत स्तर का इलाज मिल सकता था। कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी की रोकथाम के लिए पिछले साल ब्लॉक स्तर पर जन स्वास्थ्य प्रोयोगशालाओं के निर्माण का काम शुरू हुआ था। इस साल उस मद में भी आवंटित राशि में 5 फीसदी की कटौती की गयी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के चालू कार्यक्रमों के लिए भी आवंटित राशि में कटौती की गयी है। बजट में क्यूरेटिव केयर का जिक्र तक नहीं है।

यानी सही मायने में अगर कहा जाये, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों की जिन्दगी और मौत से जुड़ी रोजमर्रे की गतिविधियों में जितनी राशि पहले व्यय की जाती थी, इस साल उन मदों में काफी कटौती की गयी है। उन मदों में जो भी राशि आवंटित की गयी है, वह व्यवहारत: बीमा आधारित स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से बीमा कम्पनियों की जेबें भरने के लिए ही है। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और आवश्यक व महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर जोर न देकर व्यवहारत: सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को पंगु बनाने का प्रयास किया गया है। इससे लोगों के इलाज का खर्च बढ़ेगा। बेइलाज मौतों में इजाफा होगा। बीमा कम्पनियों और कॉर्पोरेट स्वास्थ्य व्यवसायियों की जेबें भरेंगी।

डीए के लिए जारी आंदोलन को दबाने की सरकार की कार्रवाई तानाशाहीपूर्ण

पश्चिम बंगाल में महंगाई भत्ते (डीए) व तमाम रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग पर तथा भ्रष्टाचारके खिलाफ आंदोलनकारियों द्वारा हड़ताल का आह्वान किये जाने पर राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा उस पर लगायी गयी रोक की कड़ी निंदा करते हुए एसयूसीआई (सी) के राज्य सचिव कॉमरेड चंडीदास भट्टाचार्य ने 19 फरवरी को बयान जारी करते हुए कहा कि इस सरकार की मुख्यमंत्री लोकतंत्र की बड़ी-बड़ी बातें करती हैं, केन्द्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ अपने को जनतंत्र की हिमायती बताती हैं, जबकि उन्हीं की सरकार ने डीए की मांग पर कर्मचारियों के चल रहे संयुक्त आन्दोलन को दबाने के लिए व्यवहारत: प्रतिबंध लगा दिया।

सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों का संयुक्त मंच कई हफ्तों से शहीद मीनार परिसर में धरना दे रहा है और उसी आन्दोलन की कड़ी में उसने 20-21 फरवरी को हड़ताल का आह्वान किया है। इसमें गलत क्या है? जहां इस आन्दोलन के औचित्य को लेकर कोई सवाल नहीं है, वहीं राज्य सरकार आम हड़तालों को दबाने के लिए जिस तरह के तानाशाही कदम उठाया करती है, इस मामले में भी उसने ऐसे ही कदम उठाकर अपने तानाशाहीपूर्ण रवैये का सबूत दिया है। हम सरकार की इस जनविरोधी कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं और इसे तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं।

हम यह भी गौर कर रहे हैं कि आंदोलन को दबाने में सरकार जितनी तत्पर है, रिक्त पदों को भरने, शिक्षकों और नर्सों की नियुक्ति करने तथा भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में उसकी रत्तीभर भी तत्परता नहीं दिख रही है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश जारी है। यहां तक कि कहां, कितने रिक्त पद हैं, न तो सरकार इसका खुलासा कर रही है और न ही उन्हें भरने को लेकर किसी योजना की जानकारी दे रही है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों का लगातार चला 700 दिनों का धरना और संग्रामी संयुक्त मंच की भूख हड़ताल के बावजूद सरकार उनकी जायज मांगों को अनसुना करती जा रही है।

कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाएं

(पृष्ठ 2 का शेष)

भला होता है। इस 'किसी भी' शब्द की एक सीमा और एक पद्धति होती है। मेरे 'किसी भी' शब्द से यह न मान लें कि हम बिना विचार किये कोई भी सवाल, किसी भी मंच पर, किसी भी समय उठा सकते हैं। बात ऐसी नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं, वह यह है कि विभिन्न सवालों को लेकर विभिन्न मंचों पर जितने बड़े दायरे में चर्चा और विचारों का संघर्ष किया जा सके, वह करना चाहिए। मसलन, किसी विशेष नारे को लेकर, किसी नीति, कार्यक्रम या रणकौशल को लेकर किसी के साथ एका कायम करने या न करने के सवाल को लेकर एक राय के खिलाफ दूसरी राय का तर्क-वितर्क चल सकता है। लेकिन, बुनियादी सिद्धांत का विरोध करने पर वह अंदरूनी संघर्ष नहीं रह जाता है। वह संघर्ष पार्टी और पार्टी के बाहर के लोगों के बीच के संघर्ष में तब्दील हो जाता है। इसलिए बुनियादी सिद्धांत का विरोध नहीं होना चाहिए। बुनियादी सिद्धांत को समझने के लिए, और बेहतर ढंग से समझने के लिए, अगर किसी की समझ में कोई गड़बड़ी रहे, तो उसे दिखाने के लिए चर्चा हो सकती है। लेकिन बुनियादी सिद्धांत सही हैं या नहीं, यह सवाल नहीं किया जा सकता। क्योंकि, इसका मतलब निकलता है जिस बुनियादी सिद्धांत पर पार्टी खड़ी है, उसी पर संदेह करना। ऐसा नहीं चल सकता। हो सकता है कि बिना समझे कुछ कॉमरेड ऐसा करते हों। वे समझ ही नहीं पाते हैं कि इससे न चाहते हुए भी पार्टी ऑथोरिटी को कमतर किया जाता है। नतीजतन, ऐसे में फिर पार्टी क्या रह जाती है। कोई भी क्रांतिकारी पार्टी इसकी इजाजत नहीं दे सकती। पार्टी के भीतर जनतंत्र का जो भी व्यापक माहौल रहे, उससे इसका कोई लेना-देना नहीं है। यह बिल्कुल अलग चीज है। यह नहीं चल सकता। इस संबंध में तमाम कॉमरेडों को जागरूक रहने की जरूरत है। नहीं तो पार्टी में मार्क्सवाद के नाम पर अति जनतंत्र और व्यक्तिवाद कायम हो जायेगा। और, जनतंत्र के नाम पर जो रह जायेगा, वह निहायत ही औपचारिक जनतंत्र होगा। नतीजतन, उस स्थिति में पार्टी एक ब्यूरोक्रेटिक पार्टी में पतित हो जायेगी। नौकरशाही को रोकने के लिए ही, अंधता को रोकने के लिए ही ऑथोरिटी की जरूरत है। ऑथोरिटी को मानकर चलने से अंधता नहीं बढ़ती है, अंधता बढ़ती है चेतना के निम्न स्तर की वजह से। ऑथोरिटी को मानने की बात बार-बार कहने से अंधता नहीं आती है, अंधता आती है उसे सही ढंग से समझे बिना कहने से। इस अंधता के खिलाफ संघर्ष करने का अर्थ यह देखना है कि क्या ऑथोरिटी को ठीक तरह से समझकर बात कही जा रही है या नहीं और अगर ऐसा गलत समझकर कहा जा रहा है, तो क्या सही है, वह बताना।''

घड़रोज भगाओ, खेती व जीवन बचाओ के नारे को लेकर किसानों का रोषपूर्ण प्रदर्शन

हाजीपुर (बिहार) : ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) वैशाली जिला सांगठनिक कमेटी के तत्वावधान में घड़रोज (नीलगाय) भगाओ खेती व जीवन बचाओ आंदोलन के तहत 21 फरवरी को जिलाधिकारी, वैशाली के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे माल गोदाम के निकट से झंडे-बैनरों एवं मांग तख्तियों से सुसज्जित जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारी घड़रोज भगाओ खेती व जीवन बचाओ, एमएसपी गारंटी कानून बनाओ, घड़रोज आखेट की सीमा 50 को समाप्त करो, आंदोलन के दौरान महुआ एसडीएम द्वारा किसानों पर बनाये गये फर्जी मुकदमे महुआ थाना कांड संख्या 826/2022 को खारिज करो, मुकदमे दर्ज कराने वाली द्वितीय दंडाधिकारी पूनम खन्ना को बर्खास्त करो, यूरिया, डीएपी सहित रासायनिक उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाओ, आम जनता द्वारा दिये जाने वाले आवेदनों की प्राप्ति रसीद सभी थानाध्यक्षों द्वारा दिलाना सुनिश्चित करो, सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, लालफीताशाही नहीं चलेगी आदि नारे लगा रहे थे। जुलूस अनवरपुर चौक, डाकबंगला रोड होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष पहुंचा, जहां पुलिस ने जुलूस को रोक दिया। जुलूस वहीं सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता कॉमरेड ललित कुमार घोष ने की एवं संचालन डॉ. राजेंद्र शर्मा ने किया। वहां कई नेताओं ने बात रखी।

सभा को संबोधित करते हुए राज्य कमेटी सदस्य डॉ. राजेंद्र शर्मा ने कहा कि घोरपरास आज किसानों की फसल खा ही नहीं रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पर उसे बर्बाद भी कर रहा है। एक तो किसान कर्ज लेकर खेती करते हैं, ऊपर से इस नुकसान से किसानों की हालत दयनीय हो गयी है। वे कर्ज से उबर नहीं पा रहे हैं। घड़रोज आज खेती-किसानी व राहगीरों के लिए अभिशाप बन गया है।

पांच सदस्य शिष्टमंडल ने 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला पदाधिकारी, वैशाली को सौंपा। ज्ञापन में वैशाली जिला को घड़रोज व जंगली सूअरों से मुक्त करने व उसके लिए निस्तारण की राशि की व्यवस्था करने की मांग की गई।

कॉलेज का खेल का मैदान बचाने के लिए सड़कों पर उतरे छात्र

बिलासपुर (छत्तीसगढ़) : 31 जनवरी को छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की छत्तीसगढ़ राज्य कमेटी के द्वारा शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा महाविद्यालय, बिलासपुर के एकमात्र खेल मैदान को बचाने और मैदान को कॉलेज के विद्यार्थियों और आम लोगों के लिए सुरक्षित करने की मांग को लेकर रैली निकाली गयी तथा धरना-प्रदर्शन किया गया। इसके पश्चात कलेक्टर, बिलासपुर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, मुंगेली आदि जिलों से छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।

छात्र नेताओं ने बताया कि शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा महाविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के एकमात्र खेल मैदान को एसबीआर ट्रस्ट शिक्षा की उन्नति के नाम पर बेच रहा है और इसे बेचकर वह बिलासपुर शहर के बाहर 10 एकड़ जमीन खरीदेगा, जिसमें शिक्षा की व्यवस्था एवं समाजसेवा मूलक कार्यों की व्यवस्था होगी। यह किस तरह से संभव है कि एक कॉलेज के हजारों विद्यार्थियों का खेल मैदान छीन कर फिर उसी से शिक्षा की नई व्यवस्था की जाएगी। यह छात्रों के साथ अन्याय है।

साथ ही दुर्ग, धमतरी व रायपुर जिले में भी ज्ञापन सौंपा गया।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती समारोह संपन्न

औरंगाबाद (बिहार) : नेताजी सुभाषचंद्र बोस की 126वीं जयंती पर 'देश की दशा एवं छात्र-नौजवानों का फर्ज' विषय पर यहां ए-वन क्लासेज एवं सिटी लाइब्रेरी के सभागार में 23 जनवरी को विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। मिताली प्रवाल द्वारा गीत गाया गया। कार्यक्रम में संस्थान के सैकड़ो छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों, अविभावकों ने भाग लिया।

इस समारोह में सेवानिवृत्त शिक्षक एमके पाठक ने नेताजी के जीवन-संघर्ष व चरित्र पर प्रकाश डाला। प्रिंसिपल रितेश ने उन्नत चरित्र अपनाने पर बल दिया। समारोह की अध्यक्षता पूर्व शिक्षक रामजनम सिंह यादव ने की एवं संचालन अनिल ज्ञानी ने किया।

हैदराबाद: 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर विशाल जनसभा

सरकार की किसान विरोधी नीतियां के खिलाफ ओडिशा के क्योंझर में एआईकेकेएमएस द्वारा 20 फरवरी को आयोजित विशाल विरोध प्रदर्शन

हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र योजना रद्द करने, बुढ़ापा पेंशन जैसी सुविधाएं न काटने आदि मांगों को लेकर प्रदर्शन

हरियाणा सरकार से परिवार पहचान पत्र योजना रद्द करने, बुढ़ापा पेंशन, आयुष्मान व बीपीएल राशन कार्ड की काटी गई सरकारी सुविधाएं तत्काल बहाल करने, सरकारी सुविधाओं में परिवार की आय सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपये वार्षिक करने, बुढ़ापा सम्मान निधि 5000 रुपये महीना देने, तमाम ग्रामीण गरीबों को 6,00 रुपये दैनिक मजदूरी पर पूरे साल काम देने, यौन अपराध के आरोपी मंत्री सन्दीप सिंह को बर्खास्त कर जांच करने और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने, प्रदेश में बालिकाओं, छात्राओं व महिलाओं के सम्मान व सुरक्षा की गारंटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, झारखंड राज्य से तस्करी कर गुड़गांव में जबरन घरेलू कामगार बनाई 13 वर्षीय बालिका पर किये गए भयंकर उत्पीड़न काण्ड में और हिसार में नेपाल के प्रवासी परिवार की बच्ची के रेप व हत्याकाण्ड में फास्टट्रैक कोर्ट बनाकर जल्द न्याय देने और जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग करते हुए एआईकेकेएमएस ने ज्ञापन सौंपे।

भिवानी (हरियाणा) : एआईकेकेएमएसएस ने 22 फरवरी को स्थानीय नेहरू पार्क से लघु सचिवालय तक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और अपनी 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन उपायुक्त भिवानी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम दिया।

नेहरू पार्क में हुई सभा को किसान संगठन के जिला सचिव मास्टर बस्ती राम, जिला अध्यक्ष कॉमरेड रोहताश सिंह सैनी, एआईयूटीयूसी के राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड रामफल, धर्मवीर मनसरवास, फतेह सिंह और महेंद्र सिंह तोशाम ने संबोधित किया।

सभा की अध्यक्षता जयवीर बागनवाला ने की।

सोनीपत (हरियाणा) : एआईकेकेएमएस ने 20 फरवरी को उपायुक्त कार्यालय, सोनीपत पर एक जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के नेता व कार्यकर्ता महलाना चौक से शुरू करके छोटू राम चौक होते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का एक ज्ञापन दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के जिला अध्यक्ष हंसराज राणा, सचिव जयकरण दहिया और मास्टर ईश्वर सिंह भटगांव ने किया।

रेवाड़ी (हरियाणा) : एआईकेकेएमएस ने 24 फरवरी को स्थानीय नेहरू पार्क से लघु सचिवालय तक विरोध प्रदर्शन किया और अपनी 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन उपायुक्त रेवाड़ी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम दिया। प्रदर्शनकारियों को किसान आन्दोलन के सक्रिय नेता कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट के अलावा संगठन के राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड विजय कुमार, जिला अध्यक्ष कॉमरेड रामकुमार नीमोठ, जिला सचिव कॉमरेड राकेश कुमार फौजी आदि कई किसान नेताओं ने संबोधित किया। सभी ने किसान-मजदूरों से संघर्ष कमेटियां बनाकर अपना संघर्ष तेज करने की अपील की।

आईकेकेएमएस का विरोध प्रदर्शन

पट्टी (उत्तर प्रदेश) : 23 फरवरी को आल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन(एआईकेकेएमएस) ने पट्टी तहसील मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित 7 सूत्री मांगपत्र तहसीलदार के माध्यम से भेजा। प्रदर्शन में शामिल सैकड़ों किसानों ने उड़ैयाडीह मोड़ से जुलूस निकाला और तहसील गेट पर सभा की।

विरोध-प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए एआईकेकेएमएस के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड बेचन अली ने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जन आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रदर्शन को संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष कॉमरेड शेषनाथ तिवारी, जिला सचिव कॉमरेड रमाकांत वर्मा व कॉमरेड हरिशंकर मौर्य ने भी संबोधित किया।

कार्यक्रम का संचालन संगठन के जिला सचिव कॉमरेड विजयानंद तिवारी ने किया।

ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ किसान व खेत मजदूरों का प्रदर्शन

बदलापुर, जौनपुर (उ.प्र.) : ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) के देशव्यापी आह्वान पर संगठन की जौनपुर जिला कमेटी की ओर से 24 फरवरी 2023 को बदलापुर तहसील मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना व प्रदर्शन आयोजित किया गया। वहां पर एआईकेकेएमएस के नेताओं ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम 6 सूत्री मांगपत्र एसडीएम को सौंपा।

ज्ञापन में मांग की गई कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी दी

जाए। खाद, बीज व कीटनाशक सस्ती दर पर समय से उपलब्ध कराये जाएं। जंगली जानवरों व छुट्टे पशुओं से फसलों की सुरक्षा की गारंटी दी जाए और नुकसान हुए फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए। बिजली संशोधन बिल 2022 वापस लिया जाए। बिजली कटौती व लो वोल्टेज की समस्या का अविलंब समाधान किया जाए। सभी सूखी नहरों में प्रर्याप्त पानी दिया जाए। मनरेगा बजट में की गई कटौती वापस ली जाए। गांव के सभी मजदूरों को साल भर काम की गारंटी दी जाए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता जयप्रकाश पाण्डेय ने की व संचालन रामप्यारे एडवोकेट ने किया। प्रदर्शनकारियों को जिला अध्यक्ष जयनारायण मौर्य, राज्य सचिव मिथिलेश मौर्य व अन्य किसान नेताओं ने सम्बोधित किया।

युवा कैम्प आयोजित

दिल्ली : युवाओं का सम्बोधित करते हुए कॉमरेड प्राण शर्मा

दिल्ली : 11 व 12 फरवरी को एआईडीवाईओ दिल्ली राज्य की तरफ से राज्य स्तरीय दो दिवसीय युवा कैम्प का आयोजन बुराड़ी में किया गया। इसमें दिल्ली के विभिन्न इलाकों के युवा शामिल हुए। कैम्प के पहले दिन फिल्म शो का आयोजन किया गया, जिसमे 'धर्म' फिल्म दिखाई गई और उस पर चर्चा भी की गयी। दूसरे दिन खेलकूद के साथ कैंप की शुरुआत हुई। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। फिर पूरे दिन परिचर्चा हुई, जिसमें 'युवाओं से आह्वान' पुस्तक से लिये गए सवालों पर चर्चा हुई। परिचर्चा में एआईडीवाईओ के अखिल भारतीय अध्यक्ष कॉमरेड निरंजन नस्कर और महासचिव कॉमरेड अमरजीत कुमार भी उपस्थित थे। परिचर्चा के मुख्य वक्ता एसयूसीआई (सी) पार्टी के दिल्ली राज्य सचिव कॉमरेड प्राण शर्मा थे। परिचर्चा के दौरान विभिन्न सवालों पर चर्चा हुई। युवाओं का समाज के प्रति क्या दायित्व है और उनके सामने क्या-क्या रुकावटें हैं? इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। परिचर्चा में दिल्ली राज्य अध्यक्ष सहित सचिवमंडल के सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी और वहां मौजूद सभी युवाओं ने गंभीरता के साथ इस चर्चा में भाग लिया। परिचर्चा के मुख्य वक्ता ने विस्तार से समाज विकास के क्रम को रखते हुए बताया कि किस प्रकार आज युवा समाज के प्रति उदासीन है और कैसे अनेक प्रकार के कुसंस्कारों की वजह से युवा 'खाओ, पीओ, मौज करो' की संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि आजादी आंदोलन के समय ऐसे भी युवा थे, जिन्होंने सामाजिक बदलाव के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी थी। उन्होंने इस गिरावट के कारणों पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि युवाओं को समाज के प्रति अपना दायित्व निभाने के लिए आगे आना होगा। उसके लिए उन्हें आजादी आंदोलन के क्रांतिकारियों के अधूरे सपनों को पूरा करना होगा और साथ ही साथ सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन चलाते हुए हर प्रकार के शोषण-जुल्म को खत्म करना होगा। तभी युवा समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा कर पाएंगे।

परिचर्चा का संचालन दिल्ली राज्य सचिव कॉमरेड मौसम कुमारी ने किया।

देशभर में सम्मानपूर्वक मनाया गया चंद्रशेखर आजाद का शहीदी दिवस

भटिंडा, पंजाब

अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

गुड़गांव, हरियाणा

बदलापुर, उत्तर प्रदेश

मुंगेर, बिहार

लखनऊ, उत्तर प्रदेश

सरायकेला, झारखंड

पिलानी, राजस्थान

अहमदाबाद, गुजरात

ढिंढौली, गुजरात

सूरत, गुजरात

आंगनबाड़ी कर्मियों का सम्मेलन सम्पन्न

मैनपुरी (उत्तर प्रदेश) : एआईयूटीयूसी तथा स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया से संबद्ध उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की मैनपुरी यूनिट का जिला स्तरीय आंगनवाड़ी कर्मियों का सम्मान बचाओ सम्मेलन 26 फरवरी को यहां शानदार ढंग से आयोजित किया गया।

बाल मजदूरों पर बढ़ती क्रूरता के खिलाफ कन्वेंशन

गुड़गांव (हरियाणा) : बाल श्रमिकों पर बढ़ती क्रूरता के खिलाफ 25 फरवरी को श्रमिक संगठन एआईयूटीयूसी व युवा संगठन एआईडीवाईओ द्वारा संयुक्त रूप में स्थानीय कमला नेहरू पार्क में एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कन्वेंशन का संचालन एआईयूटीयूसी के जिला सचिव कॉमरेड श्रवण कुमार ने किया। मुख्य वक्ता एआईयूटीयूसी के प्रांतीय अध्यक्ष कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट थे। यूनिक चाईल्ड प्रोटैक्शन के वॉलंटियर रंजय सिंह व मंजु ने भी बात रखी।

कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि पिछले सप्ताह गुड़गांव में एक प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा घरेलू काम के लिए सप्लाई की गई झारखण्ड राज्य निवासी एक आप्रवासी लड़की के साथ एक दम्पती ने जिस तरह के दमनकारी व अमानवीय अत्याचार किए हैं, वे रोंगटे खड़े करने वाले हैं। मात्र 13 वर्ष की उस मासूम बच्ची के शरीर को गर्म चिमटों से जगह-जगह दागने-जलाने और चोटें मारने की दिल दहलाने देने वाली इस नृशंस घटना की उन्होंने कड़ी निन्दा करते हुए प्रदेश सरकार से पीड़ित बच्ची को न्याय प्रदान करने के साथ-साथ ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर कारगर व ठोस कार्रवाई की पुरजोर मांग की।

श्रमिक नेताओं ने कहा कि यह कोई पहली व अकस्मात घटना नहीं है। इससे अनेक सवाल सहज में ही उपजते हैं। सर्वप्रथम यह कि मासूम बालिकाओं व स्कूल-कॉलेज की छात्राओं के साथ हर रोज ऐसी वीभत्स घटनाएं हो रही हैं। सरकार व प्रशासन उन पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए बैठा है। समाज को दहलाने व हर मां-बाप की नींद व चैन छीन लेने वाली ऐसी घटनाओं पर रोकथाम व निगरानी के लिए कोई कारगर व्यवस्था करने के तनिक भी उपाय क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या सत्ताधारियों का कलेजा पत्थर का बना है। क्या सामान्य परिवारों के सुख-चैन से उसका कोई सरोकार नहीं है? इस सरकार की प्राथमिकताएं आखिर क्या हैं? क्या मात्र पुलिस कार्रवाई करने से ही सरकार का दायित्व पूरा हो जाता है? श्रमिक नेताओं ने बताया कि प्रदेश के हर जिले में कदम-कदम पर हर रोज निरन्तर हो रही घटनाएं दर्शाती हैं कि यह सरकार जन सरोकारों से निश्चित रूप से विमुख है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस स्थिति के विरुद्ध प्रदेशव्यापी एक सशक्त अभियान चलाना निहायत जरूरी है।

साथ ही उन्होंने हरियाणा श्रम विभाग से भी सवाल उठाया है कि बाल श्रमिकों व प्रवासी मजदूरों, खासकर घरेलू कामकाजी महिलाओं के हितों के बारे में वह कुम्भकरणी नींद में क्यों सोया हुआ है। प्लेसमेंट एजेंसियों को बाल श्रमिक सप्लाई करने का अधिकार किसने दिया है? घरेलू महिला कामगारों को गुलाम समझकर उन पर अत्याचार करने का दुस्साहस कैसे पैदा हो पाया है? गुड़गांव में 13 साल की बच्ची के साथ हुई यह बर्बर घटना स्पष्ट करती है कि हरियाणा सरकार प्रदेश में कार्यरत मजदूरों की इज्जत-आबरू और जान बचाने व कार्यस्थलों पर मजदूरों के साथ होने वाले अमानवीय अत्याचारों को रोकने के प्रति कतई गम्भीर नहीं है।

कन्वेंशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मांग की गई कि इस तरह की घटनाओं के दोषियों को सख्त सजा दी जाए तथा कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जो भी संस्थाएं इनकी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं, वे सक्रिय हों।

पांच सदस्यीय घरेलू कामगार हित पोषक कमेटी का गठन किया गया।

ज्ञापन सौंपा

गुड़गांव (हरियाणा) : घरेलू कामगारों व बाल श्रमिकों पर बढ़ती क्रूरता के खिलाफ तथा डोमेस्टिक वर्कर्स वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2010 और कार्यस्थल पर सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए घरेलू कामगार हितपोषक कमेटी ने 1 मार्च को उपायुक्त कार्यालय पर धरना दिया व उपायुक्त, गुड़गांव को ज्ञापन सौंपा। इसका नेतृत्व कमेटी सदस्य व एआईयूटीयूसी के जिला सचिव कॉमरेड श्रवण कुमार ने किया।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2021-23
Posting at DPSO, Delhi -06 on 07–08 and 22–23 of every month, Fortnightly , Date of Publication: Mar 5, 2023

साफ हो गया कि जजों की नियुक्ति की प्रणाली पर ....

(पृष्ठ 1 का शेष)

बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर सरकार खास लोगों को लेकर जांच समिति बनाती है, तो उसमें पारदर्शिता नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही जांच समिति गठित करेगी।

स्वाभाविक रूप से 'सुझावों' को खारिज करना सरकार और भाजपा नेताओं के लिए एक बड़ा झटका है। सुझावों से यह बात साफ हो जाती है कि प्रधानमंत्री समेत भाजपा नेताओं ने सोचा था कि जांच समिति में कौन-कौन लोग रहेंगे, उनके काम का दायरा क्या होगा--यह सब तय कर वे अपनी इच्छानुसार जांच करा पायेंगे और खुद जांच के दायरे से बाहर रह पायेंगे। यानी सत्ता का इस्तेमाल कर आरोपी भाजपा नेता खुद जांच की दिशा तय करना चाहते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेताओं की 'योजना' पर पानी फिर गया।

केन्द्र सरकार की सत्ता में आने के बाद से ही भाजपा के नेता एक के बाद एक संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने लगे। कई मामलों में वे सफल भी हुए। कानून मंत्री सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बहाली की कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करते रहे। भाजपा नेताओं का मकसद है मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को खत्म कर जजों की नियुक्ति का अधिकार सरकार को देना। उन्होंने अपने इस मकसद के लिए दबाव बनाने हेतु आरएसएस व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी मैदान में उतारा।

हाल ही में आरएसएस के मुखपत्र के एक सम्पादकीय में आरोप लगाया गया है कि भारत को बदनाम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका यह भी आरोप है कि जनता के पैसे से चलने वाले सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल देशहित के खिलाफ किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने भी कॉलेजियम के सवाल पर कई बार सरकारी वर्चस्व की वकालत की है।

यह समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सरकार क्यों जजों की बहाली की प्रणाली पर कब्जा करना चाहती है। भाजपा नेताओं का मकसद है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाकर अडानी-घोटाले की जांच को नियंत्रित करना, कॉलेजियम प्रणाली को खत्म कर अपनी पसंद के जजों की नियुक्ति करते हुए अपना पसंदीदा फैसला करवाना, तो दूसरी तरफ राष्ट्रवाद, देशहित आदि बातों का घटाटोप तैयार कर सरकार की छवि पर प्रतिदिन लग रहे दाग को धोने की कोशिश करना।

जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज एस अब्दुल नजीर को उनकी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया और मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की सेवानिवृत्ति के बाद ही उन्हें राज्यसभा में मनोनीत कर दिया गया, उससे जनमानस में यह आरोप और पुष्ट हुआ है कि इन सबके पीछे नोटबंदी और राम मंदिर सहित कई मामलों में सरकार के पसंद के फैसले देने की भूमिका रही है।

एक बात साफ है कि सत्ता में आने के बाद से भाजपा जिस तरह से अंधाधुंध तमाम क्षेत्रों में मनमाने फैसले थोप रही है और यहां तक कि कोर्ट के विभिन्न फैसलों को भी तरह-तरह से प्रभावित कर रही है, वैसे में सुप्रीम कोर्ट ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया? और वह भी खास तौर पर अडानी-घोटाले की जांच के सवाल पर? तो क्या अब भारत के इजारेदार पूंजीपति भी बंट गये हैं? क्या अडानी मुद्दे को केन्द्र करके ही पूंजीपतियों के बीच गुटों का विवाद उजागर हो रहा है? इसका जवाब तो आनेवाला वक्त ही दे सकता है। लेकिन यह सच है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है, जो कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने में भाजपा को कोई फायदा नहीं पहुंचायेगा, बल्कि इसके खिलाफ ही जायेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने पर भाजपा नेतृत्व उतावला क्यों है।

एलपीजी गैस मूल्यवृद्धि ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

कनेक्शन प्रदान करने का श्रेय लेते हैं, चतुराई से इस तथ्य से बचते हैं कि 'उज्जवला' ग्राहकों को भी बढ़ते बाजार मूल्य पर गैस सिलेंडर खरीदने की जरूरत पड़ती है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी 352 रुपये की भारी बढ़ोतरी की गई है, जिसका मायने है कि यह अतिरिक्त बोझ होटल-रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के मालिकों द्वारा सीधे उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा। एक बार फिर सरकार अप्रत्यक्ष कराधान के जरिये अतिरिक्त राजस्व अर्जित करेगी, जिसका खामियाजा मेहनतकश जनसाधारण को उठाना पड़ता है, भले ही उनकी आय का स्तर कुछ भी हो और धन के ऊपर धन जमा करने वाले अति-धनवानों द्वारा उच्च आयकर भुगतान करने से छूट के अनुचित विशेषाधिकार का मजा लेना जारी रहेगा।

हम एलपीजी की कीमतों में इस बढ़ोतरी का कड़ा विरोध करते हैं और लोगों से भाजपा सरकार की इस जनविरोधी नीति के खिलाफ एक जोरदार जन आंदोलन खड़ा करने का आह्वान करते हैं।

एमएसपी...

(पृष्ठ 1 का शेष)

रूप से निम्न दो तर्क दे रहे हैं: पहला, एमएसपी और सरकारी खरीद का कानून बनाने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत है। उनका कहना है कि सरकार जबरदस्त राजकोषीय संकट में है। उसके खजाने खाली हैं। इसलिए वर्तमान वित्तीय संकट के चलते इतनी बड़ी धनराशि खर्च करना फिलहाल संभव नहीं है।

दूसरा, अगर सरकार सभी कृषि उत्पादों को एमएसपी दर पर खरीदना शुरू कर दे, तो खाद्यान्न समेत कृषि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी और इससे आम लोगों को बहुत भारी परेशानी भुगतनी पड़ेगी। इसलिए, उनकी दलील है कि जो लोग कृषि उपज पर एमएसपी लागू करने के पक्ष में हैं, वे बहुत ही कम खरीद शक्ति वाले आम उपभोक्ताओं यानी श्रमिकों, शहरी गरीबों, खेत मजदूरों आदि के हितों के खिलाफ हैं।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, यह हम सभी को पता है। अपने जीवन में इसकी कड़वाहट हम भी दिन प्रतिदिन और हर पल अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ये कीमतें आखिर बढ़ क्यों रही हैं? औद्योगिक उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी क्यों होती है? पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम इतने बेलगाम क्यों बढ़े हैं? आलू हो या प्याज, किसानों को अपनी ये उपज दो रुपये किलो बेचनी पड़ती है। लेकिन उपभोक्ता इन्हीं चीजों को 30 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से महंगे दामों पर खरीदने के लिए मजबूर हैं। ऐसा क्यों? क्या इसका कारण एमएसपी है? इसका जवाब बड़ा सीधा-सा है–बिल्कुल नहीं। असल में, ऐसा इसलिए हो रहा है कि किसान के हाथ से निकल कर सब कुछ व्यापारियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में चला जाता है। हर चीज पर उनका नियंत्रण है। इसके परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं के दाम उछल कर आसमान छूने लगते हैं। एमएसपी से इसका कोई लेना-देना नहीं है। दिन के उजाले की तरह साफ है कि निहित स्वार्थ से जुड़े हलकों से ही एमएसपी के खिलाफ ऐसे भ्रामक व बेसिरपैर के तर्कों को हवा दी जा रही है।

अब आइये, रुपये-पैसों के सवाल पर आयें। यदि केंद्र सरकार कृषि उपज की खरीद में एमएसपी लागू करती है, तो कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी? आइए, इसकी जांच-परख करते हैं। फिलहाल, सिर्फ 23 चीजें एमएसपी के दायरे में आती हैं। इन 23 चीजों में (धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी और जौ) 7 अनाज शामिल हैं। (चना, अरहर/तूर, मूंग, उड़द और मसूर) 5 दालें हैं। (मूंगफली, सोयाबीन, रेपसीड-सरसों, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, रामतिल) 7 तिलहन हैं और 4 नकदी फसलें (गन्ना, कपास, कच्चा जूट, खोपरा/नारियल) शामिल हैं।

यदि इन 23 फसलों के कुल उत्पादन की खरीद की जाये तो इनका एमएसपी मूल्य करीबन 10.78 लाख करोड़ रुपये बनता है। लेकिन तथ्य यह है कि इन सभी चीजों के तमाम उत्पादन का विपणन यानी खरीद-बिक्री नहीं होती है। क्यों? क्योंकि (क) उत्पादक किसान अपनी उपज का एक भाग स्वयं अपने परिवार के उपभोग के लिए रख लेता है, (ख) एक भाग का उपयोग वह अगले सीजन में बुआई के लिए बीज के रूप में करता है, (ग) अपने पशुओं को खिलाता है।

यह देखा गया है कि बाजार में बिक्री की गई कृषि उपज की मात्रा इस प्रकार है: क) रागी 50 फीसदी से कम, ख) गेहूं 75 फीसदी, ग) धान 80 फीसदी, घ) गन्ना 85 फीसदी, ड.) अधिकांश दालें 90 फीसदी, च) कपास, जूट आदि 95 फीसदी। यदि कुल कृषि उपज की औसतन 75 प्रतिशत मात्रा की खरीद की जाती हो, तो उसके लिए केवल 8 लाख करोड़ रुपये से कुछ ही अधिक रकम की जरूरत पड़ेगी। यह 23 वस्तुओं की बिक्री योग्य उपज का एमएसपी मूल्य है। इसका मतलब है कि अगर सरकार बाजार में आने वाली उन 23 वस्तुओं की कुल बिक्री योग्य कृषि उपज खरीदती है, तो 8 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है।

अब इस सूची से सबसे पहले, गन्ने को बाहर कर दें, क्योंकि गन्ने के भुगतान की जिम्मेदारी मिल मालिकों पर है। गन्ना बाजार में मिल मालिक ही किसानों से इसकी खरीदारी करते हैं। इसलिए, कानून के अनुसार, किसानों को भुगतान करना उनकी जिम्मेदारी है।

दूसरे, कपास और जूट की पूरी की पूरी फसल की सरकारी खरीद न भी सही, फिर भी सरकार को कपास और जूट का एक बड़ा हिस्सा तो खरीदना चाहिए ताकि बाजार पर इसका असर पड़ सके। हमने वर्ष 2019-20 में देखा कि सरकार ने 350.50 लाख गांठों में से 87.85 लाख गांठ कपास खरीदी थी। इससे बाजार में काफी प्रभाव पड़ा और किसानों को खुले बाजार में लाभकारी मूल्य मिला। इसलिए यदि सरकार कपास और जूट के कुल उत्पादन का कम से कम 40 प्रतिशत खरीदने की घोषणा करती है, तो इससे किसानों को खुले बाजार में भी लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार की आर्थिक जिम्मेदारी घट जायेगी।

तीसरे, सरकार को चाहिए कि लोगों को खाद्यान्न और अन्य आवश्यक कृषि उपज सस्ती दर पर बेची जायें। इस बिक्री से सरकारी खजाने में बड़ी रकम जमा होगी और साथ ही लोगों को भोजन और आवश्यक वस्तुएं सस्ती दर पर मिलेंगी।

इन सभी तथ्यों को मिलाकर, सरकार को एमएसपी पर वर्तमान में किये जा रहे (3.2 लाख करोड़ रुपये) खर्च की बजाय सालाना सिर्फ 1.0 से 1.5 लाख करोड़ रुपये की जिम्मेदारी उठानी होगी। इतनी मामूली-सी धनराशि केंद्र सरकार के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्वार्थ साधने के लिए लाखों-लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही है, तो वह किसानों और आम लोगों के हित साधने के लिए इतनी मामूली-सी धनराशि क्यों नहीं खर्च कर सकती?

व्यावहारिक रूप से हम दो प्रस्ताव रख रहे हैं: पहला, सरकार को किसानों से सीधे लाभकारी मूल्य (सी2+50%) पर खरीद करनी चाहिए, जो कि कृषि उपज की उत्पादन लागत (सी2) का कम से कम डेढ़ गुना हो। दूसरा, सरकार लोगों को खाद्यान्न और अन्य आवश्यक कृषि जिंस सस्ती दर पर बेचनी चाहिएं ताकि गरीब लोग सस्ती कीमत पर इसका लाभ उठा सकें। तब आवश्यक वस्तुओं के मूल्य वृद्धि अर्थात महंगाई का कोई सवाल ही नहीं होगा। यदि सरकार का रवैया जनहितैषी हो, तो वर्तमान पूंजीवादी प्रणाली के भीतर ही ऐसा किया जा सकता है। इस जनहितैषी योजना को अमल में लाने के लिए सरकार को भोजन और आवश्यक वस्तुओं के थोक या खुदरा व्यापार में बड़े या छोटे सभी प्रकार के व्यापारियों, पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

इसके अलावा, सरकार को किसानों की पहुंच के भीतर खरीद केंद्र स्थापित करने चाहिएं और लोगों को खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुएं बेचने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य उपायों को मजबूत करना चाहिए। इसे ही हम ''सम्पूर्ण राज्य व्यापार (ऑल आउट स्टेट ट्रेडिंग)'' कहते हैं। यह एकमात्र सबसे सुरक्षित तरीका है, जिससे किसानों को अपनी तमाम कृषि उपज के लिए एमएसपी उपलब्ध कराई जा सकती है और आम लोगों को खाद्यान्न और अन्य आवश्यक कृषि-वस्तुएं सस्ती दर पर प्रदान कराई जा सकती हैं। अन्य कोई विकल्प नहीं है।

इसलिए, वर्तमान में किसान आंदोलन का कार्य कृषि उपज और आवश्यक वस्तुओं की खरीद-बेच में ''सम्पूर्ण राज्य व्यापार लागू करो'' की जोरदार आवाज उठाना है ताकि किसानों और जनसाधारण को शोषण व लूट-खसोट से बचाया जा सके। ●

अखबारी कतरन

हथियार निर्माताओं के लिए वरदान है रूस-यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई

फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन सशस्त्र लड़ाई की शुरुआत के बाद से रक्षा कंपनियों ने देखा है कि जैसे ही पश्चिमी देश कीव को सैन्य सहायता भेजने के लिए आगे बढ़े, रक्षा कंपनियों के स्टॉक में वृद्धि हो गई। इनमें से बहुत सारे हथियार पश्चिमी देशों के आरक्षित जखीरे से आए थे, ये हथियार इसलिए आये थे ताकि हथियार निर्माताओं को नए अनुबंधों के जरिये हथियारों की इन प्रणालियों की जगह नये माल की भराई हो। जहां यूक्रेन के लिए हथियारों की खेप की दिशा में यूरोप ने हाल के महीनों में अपना योगदान बढ़ाया है, वहीं 20 नवंबर तक 18.5 अरब डॉलर का वचन देकर अमेरिका अभी भी सबसे बड़ा व्यक्तिगत योगदानकर्ता बना हुआ है। दिसंबर में, वाशिंगटन ने कीव (यूक्रेन) के लिए एक और 1.85 अरब डॉलर की सैन्य सहायता, जिसमें पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली शामिल है, देने की घोषणा की थी।

अमेरिकी रक्षा बजट 858 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा –जो स्विट्जरलैंड की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) से बड़ा है– जिसमें से इस वर्ष कम से कम 8 हजार लाख डॉलर यूक्रेन को सुरक्षा सहायता दी जाएगी। रक्षा विधेयक लॉकहीड मार्टिन और जनरल डायनेमिक्स जैसी हथियार कंपनियों से विशिष्ट खरीदारी के लिए अधिकृत करता है, जिनके सिस्टम पहले से ही यूक्रेनी सरहद के सबसे अगले मोर्चों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। दरअसल, यूक्रेनी सेना द्वारा दोनेट्स्क हमले में इस्तेमाल किये गये अमेरिकी हिमर्स रॉकेट लॉन्चर शायद लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाये हुए थे। इसलिए, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि अमेरिकी रक्षा कंपनियों का एक अच्छा समय चल रहा है। लॉकहीड मार्टिन के शेयरों की कीमत में पिछले साल 11%, नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन के शेयरों की कीमत में 23% और एयरो वायरनमेंट के शेयरों की कीमत में 21% की वृद्धि हुई।

हथियार निर्माताओं को युद्ध पसंद हैं। उन्हें यूक्रेन-रूस लड़ाई से तो प्यार होना ही चाहिए, जिसके और महीनों तक जारी रहने की संभावना है। इसका एक कारण है कि न तो साम्राज्यवादी रूस और न ही यूक्रेन का समर्थन कर रहे अमरीका सहित पश्चिमी साम्राज्यवादी देश यह चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो, क्योंकि सरकार औश्र हथियार निर्माताओं का गठजोड़ संकटग्रस्त घोर प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवाद- पूंजीवाद की एक विशेषता है, यह गठजोड़ बढ़ते आर्थिक संकट को अर्थव्यवस्था के सैन्यीकरण के द्वारा दूर करने की कोशिश कर रहा है।

(टाइम्स ऑफ इंडिया-04-01-23)

कॉमरेड शिशुपाल सिंह राजपूत का देहांत

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पार्टी की उत्तर प्रदेश (पश्चिम) राज्य सांगठनिक कमेटी के कोषाध्यक्ष व जाने माने साहित्यकार कवि कॉमरेड शिशुपाल सिंह राजपूत का गंभीर बीमारी के कारण 2 मार्च 2023 को दोपहर 3.10 बजे दिल्ली के एक निजी अस्पताल में देहांत हो गया। वे लगभग 65 वर्ष के थे। कॉमरेड शिशुपाल के निधन से एसयूसीआई(सी) व प्रगतिशील वामपंथी जन आंदोलन को गहरा आघात पहुंचा है। इस दु:ख की घड़ी में पार्टी दिवंगत कॉमरेड के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती है।

कॉमरेड शिशुपाल सिंह राजपूत लाल सलाम

कर्मचारियों पर लाठीचार्ज की एआईयूटीयूसी ने की कड़ी निंदा

चण्डीगढ़/पंचकूला : 19 फरवरी को पंचकुला में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हरियाणा के कर्मचारियों पर भाजपा-नीत हरियाणा सरकार द्वारा बिना किसी कारण के की गई वाटर कैनन से पानी की बौछार व भीषण लाठीचार्ज की केंद्रीय श्रमिक संगठन एआईयूटीयूसी के राज्य प्रधान कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने कड़े शब्दों में निंदा की और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उसका चरित्र कर्मचारी-विरोधी है

एआईयूटीयूसी हरियाणा प्रदेश कमेटी सरकार से मांग करती है कि पुरानी पेंशन को बिना देर किए बहाल किया जाए और दमन की कार्रवाई पर लगाम लगाई जाए। एआईयूटीयूसी हरियाणा प्रदेश कमेटी कर्मचारियों के आंदोलन का पूरा समर्थन करती है।

एआईडीएसओ का पश्चिम बंगाल राज्य सम्मेलन...

(पृष्ठ 1 का शेष)

की मांग के समर्थन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके बाद पूरे शहर की परिक्रमा करते हुए एक सुसज्जित रैली निकाली गई। सम्मेलन से, 31 सदस्यीय राज्य सचिवमंडल, 89 सदस्यीय राज्य कमेटी और 112 सदस्यीय मजबूत राज्य परिषद चुनी गई।

कॉमरेड मणिशंकर पटनायक और कॉमरेड विश्वजीत रॉय क्रमश: अध्यक्ष व सचिव चुने गए। सम्मेलन में एआईडीएसओ के महासचिव कॉमरेड सौरव घोष और उपाध्यक्ष कॉमरेड सचिन जैन भी उपस्थित थे। एसयूसीआई (सी) के पोलिट ब्यूरो सदस्य और पश्चिम बंगाल राज्य सचिव कॉमरेड चंडीदास भट्टाचार्य मुख्य अतिथि थे।

18 फरवरी को एक राजनैतिक शिक्षण शिविर आयोजित किया गया। सभी प्रतिनिधियों ने इस शिक्षण शिविर में भाग लिया। एसयूसीआई (सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने इस शिक्षण शिविर का संचालन किया। मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष विचार पर आधारित सही क्रांतिकारी चरित्र का निर्माण करने के लिए सही दिशा निर्देश प्राप्त करने व चौतरफा सांस्कृतिक गिरावट, विनाशकारी एनईपी और बेलगाम व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार छात्र आंदोलन गठित करने के मद्देनजर इस शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था।

केंद्रीय बजट में

विज्ञान व प्रौद्योगिकी के लिए आवंटन का लेखा-जोखा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिक अनुसंधान में प्राचीन भारत की उत्कृष्टता के बारे में वाक्पटु हैं और अपने देशवासियों को आश्वस्त करते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों का जहां तक संबंध है, जल्द ही भारत इस मामले में शीर्ष देशों में शामिल हो जाएगा और उनके अनुयायी भारत को 'विश्वगुरु' के रूप में ब्रांडिंग करने में लग गए हैं। जबकि यह सच है कि बहुत से भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने पथ-प्रदर्शक अनुसंधानों के माध्यम से अपने देश को गौरवान्वित किया है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि उन्हें काफी कठिनाइयों के बीच काम करना पड़ा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) में व्यय का वर्तमान स्तर बहुत कम है, और यदि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) के माध्यम से ज्ञान सृजन में विश्व के शीर्ष देशों में से एक होने की आकांक्षा रखता है, तो इसे शोध-अनुसंधान में परिव्यय को काफी हद तक बढ़ाना होगा। भारत की वैज्ञानिक आकांक्षा पर प्रधानमंत्री की बड़ी-बड़ी बातों के बाद हर किसी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि की उम्मीद थी। यह उम्मीद पूरी तरह से झूठी साबित कर दी गई है जैसा कि हम पाते हैं 45,03,097 करोड़ रुपये के कुल बजट में से मामूली-सा 0.36% यानी केवल 16,361 करोड़ रुपये ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आवंटित किया गया है। दक्षिण कोरिया, जिसने अपनी आजादी का सफर लगभग भारत के साथ ही शुरू किया था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सकल घरेलू उत्पाद का 4.8% आवंटित करता है, इस मद में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन अपने कुल बजट का क्रमश: 3.45% और 2.4% खर्च करते हैं।

16,361 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से 7,391 करोड़ रुपये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)को, 2683.9 करोड़ रुपये जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) को और 5746.5 करोड़ रुपये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) को आवंटित किये गये हैं। वित्त मंत्री द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि इस बार का आवंटन पिछले साल के बजट में किये गए आवंटन से अधिक है। लेकिन अगर हम लगभग 5% की मुद्रास्फीति की बात को ध्यान में रखते हैं, तो डीएसटी के लिए वृद्धि न्यूनतम है और डीबीटी और डीएसआईआर के लिए यह वास्तव में कम कर दिया गया है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इनमें से 90% फंड विभागों के वेतन पर खर्च हो जाता है और वैज्ञानिक अनुसंधान का काम चलाने के लिए बहुत कम बचता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान से जुड़े अन्य विभाग परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) और अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) हैं। इन विभागों के लिए आवंटन क्रमश: 25,078 करोड़ रुपये और 12,543 करोड़ रुपये है। डीएसटी, डीबीटी और डीएसआईआर की तुलना में इनके लिए आवंटन अधिक है, लेकिन ऐसा स्पष्ट राजनीतिक कारणों से है। डीएई और डीओएस दोनों रक्षा अनुसंधान (परमाणु हथियार, मिसाइल और उपग्रह) से जुड़े हैं। डीएई में वित्तीय मामले सार्वजनिक जांच वसे परे हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि डीएई में धन के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल रिएक्टर बनाने व उनके रखरखाव के लिए होता है, और डीएई-वित्तपोषित संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बहुत कम बचता है। डीओएस का एक प्रमुख काम व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण है।

सर्वहारा दृष्टिकोण अखबार के स्वामित्व व अन्य विवरणों के बारे में ब्यौरा
फॉर्म 4 (नियम 8 देखिए)

प्रकाशन का स्थान : 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
प्रकाशन की अवधि: पाक्षिक
मुद्रक का नाम : सत्यवान
राष्ट्रीयता : भारतीय
पता : 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
प्रकाशक का नाम : सत्यवान
राष्ट्रीयता : भारतीय
पता : 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
सम्पादक का नाम : सत्यवान
राष्ट्रीयता : भारतीय
पता : 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
उन व्यक्तियों के नाम एवं पते, जो अखबार के स्वामी हैं या जो कुल पूँजी के एक प्रतिशत या उससे अधिक के हिस्सेदार हैं : सोशलिस्ट यूनिटी सेण्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट)

मैं सत्यवान, एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि दिए गए उपरोक्त विवरण मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सत्य हैं।

ह. सत्यवान
दिनांक : 5 मार्च, 2023 प्रकाशक के हस्ताक्षर

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2021-23
Posting at DPSO, Delhi -06 on 07–08 and 22–23 of every month, Fortnightly, Date of Publication: March 5, 2023

आधुनिक समय में बिजली है जीवन का मूलाधार – समर सिन्हा

बिजली के निजीकरण के खिलाफ कन्वेंशन

ग्वालियर: बिजली कन्वेंशन को सम्बोधित करते हुए समर कुमार सिन्हा

ग्वालियर: बिजली कन्वेंशन में शिरकत करते हुए बिजली उपभोक्ता

ग्वालियर (मध्यप्रदेश) : बिजली के निजीकरण, बिजली कानून (संशोधन) अध्यादेश 2022 एवं भारी भरकम बिजली बिलों की समस्या के खिलाफ मध्यप्रदेश बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन की ओर से 26 फरवरी को यहां प्रदेश स्तरीय कन्वेंशन आयोजित किया गया।

इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में ऑल इंडिया इलेक्ट्रीसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक समर कुमार सिन्हा ने अपने वक्तव्य में कहा कि बिजली आधुनिक समाज का मूलाधार है। इसके बिना आज जीवन संभव नहीं है। जिस तरह सूरज की धूप, पानी और हवा जीवन के लिए आवयक मूल शर्त है, उसी तरह बिजली भी जीवन की मूल शर्त है। इसीलिए बिजली का निजीकरण मानव सभ्यता के खिलाफ है। बिजली का निजीकरण नहीं होना चाहिए। बिजली के निजीकरण के खिलाफ पूरे देश में ऑल इंडिया इलेक्ट्रीसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन जोरदार आन्दोलन संगठित कर रहा है।

कन्वेंशन में रिटायर्ड एग्जिक्यूटिव इंजीनियर बीएलएस उमराव ने अपने वक्तव्य में कहा कि उपभोक्ता एसोसिएशन जगह-जगह समस्या निवारण शिविर लगाकर बिजली उपभोक्ताओं की मदद करेगा। रिटायर्ड विधि सलाहकार केके शर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा कि बिजली पर समाज के सबसे आखरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी अधिकार है। बिजली को समवर्ती सूची में इसलिए रखा गया है ताकि हर आदमी इसका उपयोग कर सके। लिहाजा बिजली का निजीकरण नहीं होना चाहिए।

कन्वेंशन में बिजली के निजीकरण और बिजली अध्यादेश 2022 के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। कार्यक्रम का संचालन बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन की प्रदेश संयोजिका रचना अग्रवाल ने किया।

अंत में ग्वालियर बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन का गठन भी किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से केके शर्मा जी को अध्यय, नित्या पवार एवं बिंदु पवार को उपाध्यक्ष, रूपेश जैन को सचिव एवं धीरेंद्र शिवहरे को सह सचिव चुना गया। इस अवसर पर रिटायर्ड जज जस्टिस एमपी गोस्वामी, इंजीनयर आरआर गुता सहित एमपीईबी के रिटायर्ड अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। साथ ही बड़ी संख्या में बिजली उपभोक्ता भी शामिल हुए।

यूपी राज्य पार्टी संगठन दो भागों में बांटा गया

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) उत्तर प्रदेश राज्य सांगठनिक कमेटी के इंचार्ज कॉमरेड पुष्पेंद्र के दुखद निधन के बाद 25-26 फरवरी 2023 को इलाहाबाद में पार्टी की केंद्रीय कमेटी द्वारा राज्य सांगठनिक कमेटी की बैठक बुलाई गई। इसमें पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड सौमेन बसु व कॉमरेड स्वपन घोष और केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड शंकर घोष, कॉमरेड अरुण कुमार सिंह व कॉमरेड स्वपन चटर्जी उपस्थित थे। बैठक में उत्तर प्रदेश संगठन के बारे में केंद्रीय कमेटी के निर्णय से कॉमरेडों को अवगत कराया गया। केंद्रीय कमेटी ने उत्तर प्रदेश संगठन को दो भागों–उत्तर प्रदेश (पूर्वी) सांगठनिक कमेटी और उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) सांगठनिक कमेटी में बांटने का निर्णय लिया है।

उत्तर प्रदेश (पूर्वी) सांगठनिक कमेटी:
कॉमरेड रविशंकर मौर्य, इंचार्ज
कॉमरेड शैलेंद्र, कोषाध्यक्ष
कॉमरेड जगन्नाथ वर्मा, कार्यालय सचिव
कॉमरेड त्रिभुवन नाथ, सदस्य
कॉमरेड मुन्ना शर्मा, सदस्य
कॉमरेड हीरालाल गुप्ता, सदस्य
कॉमरेड मिथिलेश मौर्य, सदस्य
कॉमरेड दिलीप कुमार, सदस्य
कॉमरेड जयप्रकाश मौर्य, सदस्य (सुल्तानपुर)
कॉमरेड बेचन अली, सदस्य
कॉमरेड रामसमुझ मौर्य, सदस्य
कॉमरेड हरिशंकर मौर्य, सदस्य
कॉमरेड राजवेंद्र सिंह, सदस्य
कॉमरेड कमलेश सिंह, सदस्य
कॉमरेड रामकुमार यादव, सदस्य
कॉमरेड विजयानंद तिवारी, सदस्य
कॉमरेड मकरध्वज, सदस्य
कॉमरेड अशोक खरवार, सदस्य

उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) सांगठनिक कमेटी:
कॉमरेड विजय पाल सिंह, इंचार्ज
कॉमरेड एसपीएस राजपूत, कोषाध्यक्ष
कॉमरेड अविनाश सक्सेना, सदस्य
कॉमरेड हरकिशोर सिंह, सदस्य
कॉमरेड कमलेश चहल, सदस्य
कॉमरेड बालेन्द्र कटियार, सदस्य
कॉमरेड धरमदेव, सदस्य
कॉमरेड जय प्रकाश मौर्य, सदस्य (लखनऊ)
कॉमरेड योगेंद्र कुलश्रेष्ठ, सदस्य
कॉमरेड इस्लाम अली, सदस्य

केंद्र व राज्य सरकारों की किसान-मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ

किसान सम्मेलन को सफल करने का आह्वान

कोलकाता : ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) के महासचिव कॉमरेड शंकर घोष ने 11-14 मार्च को अखिल भारतीय सम्मेलन को सफल करने का आह्वान करते हुए कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्वार्थ में बनायी गई केंद्र और राज्य सरकारों की किसान-मजदूर विरोधी नीतियों की मार ने किसानों-मजदूरों के जीवन में दयनीय स्थिति पैदा कर दी है। खाद-बीज, डीजल, बिजली, कीटनाशकों आदि खेती में काम आने वाली चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, लेकिन फसलों को उनकी पैदावार के लाभकारी दाम नहीं मिल रहे हैं। नतीजतन, कर्ज के बोझ तले दबे हजारों किसान आत्महत्या का दर्दनाक रास्ता अपनाने को मजबूर हैं। हमारे देश में हर 12 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है। ग्रामीण मजदूरों को पूरे साल काम नहीं मिलता है। इसलिए उनके जीवन में भूख रहना आये दिन की बात है। किसान और खेतिहर मजदूरों सहित सभी मेहनतकश लोगों की सरकार को कोई चिंता नहीं है।

संकट की ऐसी घड़ी में भी किसान-मजदूरों में जुझारू और संघर्षशील मानसिकता का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमने देखा है कि जब सीपीआई(एम)-नीत पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों से जमीन छीनकर सिंगुर और नंदीग्राम में क्रमशः टाटा व सलेम समूह को सौंपने की साजिश रची, तो वहां के संघर्षशील किसानों ने इसके खिलाफ किस तरह वीरता के साथ संघर्ष किया था। किसानों की यह संघर्षशील मानसिकता ही थी, जिसके बलबूते पर किसानों की जीत हुई थी और सरकार को झुकना पड़ा था। इसी उदाहरण को सामने रखकर विभिन्न राज्यों में जोरदार किसान आन्दोलन गठित हुए। हाल ही में दिल्ली के बॉर्डरों पर ऐतिहासिक किसान आंदोलन लोगों ने देखा है। हमारे देश के लोकतांत्रिक आन्दोलन के इतिहास में यह एक अनूठा और बेजोड़ संघर्ष था। इनकी बहादुरी, शौर्य, पराक्रम, आत्म-बलिदान की अदम्य भावना और महानता आने वाले बहुत दिनों तक हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। मैं गर्व से कह सकता हूं कि एआईकेकेएमएस ने इन गौरवशाली आंदोलनों में बहुत ही सराहनीय भूमिका निभाई है।

एआईकेकेएमएस के संस्थापक, हमारे प्रेरणास्रोत, सर्वहारा वर्ग के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं से हम जानते हैं कि संकटग्रस्त पूंजीवाद मेहनतकश जनता पर अपने हमले तेज करता रहेगा। साथ ही किसान और खेतिहर मजदूर भी अपने संघर्ष को और ऊंचे स्तर तक ले जाने की जरूरत महसूस करेंगे। इस नई जरूरत की आवाज बुलंद करने के लिए एआईकेकेएमएस को हर तरह से मजबूत करने की जरूरत है। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए इस संगठन का तृतीय अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर हावड़ा के शरत सदन में 11 मार्च को एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, नेपाल और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों के अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी भाग लेंगे। वे ''कृषि और किसान आंदोलन पर बहुराष्ट्रीय पूंजी के हमलों'' पर प्रकाश डालेंगे।

भारत में क्रांतिकारी वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता एसयूसीआई (सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के जयनगर में 12-14 फरवरी को होने जा रहे इस प्रतिनिधि सम्मेलन में देश के 25 राज्यों से 800 प्रतिनिधि शिरकत करेंगे और भावी संघर्ष की रणनीति तय करेंगे।

हम सभी समझदार लोगों से अपील करते हैं कि सम्मेलन को सफल बनाएं और देश में किसान आंदोलन को मजबूत करें।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."
Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com
फोन नं. : 9416763089, 9868350503